न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – झंवर लाल, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :–08 / 2025

उनवान

1. मुकेश पुत्र श्री भीमा नायक नि0 बराठिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)

.... **वादीगण**

बनाम

1. नाथी पत्नी स्व0 श्री रामेश्वर नगारची नि0 ग्राम पंचायत के पीछे, स्वरूपगंज तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0) के बजाय–
   1/1 प्रहलाद पिता स्व0 श्री रामेश्वर नगारची नि0 पंचायत भवन के पीछे स्वरूपगंज तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
   1/2 राजु पिता स्व0 श्री रामेश्वर नगारची नि0 पंचायत भवन के पीछे स्वरूपगंज तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
   1/3 रणजीत पिता स्व0 श्री भैरूलाल नगारची नि0 पंचायत भवन के पीछे स्वरूपगंज तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज०)

.... **प्रतिवादीगण**

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् कब्जा दिलाये जाने हेतु

उपस्थित :::–

अधिवक्ता वादीगण –श्री सुरेश चन्द्र अहीर उप0

प्रतिवादीगण संख्या 01, 1/1 से 1/3 – अनु0

राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार

दिनांक 12–05–2026

वादीगण की ओर से श्री सुरेशचन्द्र अहीर , एडवोकेट और प्रतिवादी सं. 01, 1/1 ,1/2, 1/3 अनु0 राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 12–05–2026 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि ––और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि –– को दी जायें।

वाद–पत्र डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु स्वीकार किया जाकर ग्राम बराटिया पटवार हल्का स्वरूपगंज भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र खैराबाद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 236/160 रकबा 0.5058 है0 पर

प्रतिवादी संख्या 01, 1/1 ,1/2, 1/3 का 0.0500 है0 भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है उससे उसे बेदखल किया जाकर इस भूमि का कब्जा पुनः वादीगण को दिलाया जाने बाबत् बेदखली आराजियात की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाती है ।

तहसीलदार हमीरगढ डिक्री अनुसार वादीगण को उक्त भूमि का कब्जा प्रतिवादी सं. 01, 1/1 ,1/2, 1/3 से दिलाया जाना सुनिश्चित करे। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे । निर्णय अनुसार डिक्री मुर्तिब की जावे । खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे

आज यह अन्तिम डिक्री दिनांक 12–05–2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(झंवर लाल, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – झंवर लाल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :–08/2025

उनवान

1. मुकेश पुत्र श्री भीमा नायक नि0 बराठिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)

.... वादीगण

बनाम

1. नाथी पत्नी स्व0 श्री रामेश्वर नगारची नि0 ग्राम पंचायत के पीछे, स्वरूपगंज तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0) के बजाय–
   1/1 प्रहलाद पिता स्व0 श्री रामेश्वर नगारची नि0 पंचायत भवन के पीछे स्वरूपगंज तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
   1/2 राजु पिता स्व0 श्री रामेश्वर नगारची नि0 पंचायत भवन के पीछे स्वरूपगंज तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
   1/3 रणजीत पिता स्व0 श्री भैरूलाल नगारची नि0 पंचायत भवन के पीछे स्वरूपगंज तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज०)

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् कब्जा दिलाये जाने हेतु

उपस्थित :::–

अधिवक्ता वादीगण –श्री सुरेश चन्द्र अहीर उप0
प्रतिवादीगण संख्या 01, 1/1 से 1/3 – अनु0
राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार

–:: निर्णय ::–

दिनांक 12.05.2026

सक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि यह है कि सरहद ग्राम बराटिया पटवार हल्का स्वरूपगंज भू.अ.नि. क्षैत्र खैराबाद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0) में आराजी नम्बर 236/160 रकबा 0.5058 है0 भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड मे वादी के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज चली आ रही है। यह है कि वादी वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा वादी ने उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने हेतु एक प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 85/2023 राजस्व प्रार्थनापत्र कायम हुए. जिसका निर्णय दिनांक 06 छह

जुलाई 2023 दो हजार तैबीस को हुआ, जिसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या 01 एक को होने पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा आराजी नम्बर 236/160 में से 0.0500 हैक्टयर भूमि पर माह अप्रेल 2024 में अवैध कब्जा कर लिया गया जिससे दिनांक 15 पन्द्रह मई 2024 दो हजार चौबीस को उक्त आराजी की पत्थरगढी गिरदावर व पटवार हल्का द्वारा मौका निरीक्षण कर की गयी, जिसमे प्रतिवादी संख्या 01 एक का आराजी नम्बर 236/160 की उत्तर दिशा मे 0.0500 हेक्टयर पर अवैध कब्जा कब्जा पाया गया। वादी की आराजीयात से प्रतिवादी संख्या 01 एक का कोई हक अधिकार नहीं है। यह है कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 एक को कई बार वादपत्र की चरण संख्या 01 एक में वर्णित वादी की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 01 एक द्वारा आराजी नम्बर 236/160 की उत्तर दिशा में 0.0500 हैक्टयर भूमि पर किये गये अवैध कब्जे को छोडने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी सख्या 01 एक ने कोई ध्यान नही दिया व अन्तिम बार वादी ने दिनांक 10 दस दिसम्बर 2024 दो हजार चौबीस को उनके द्वारा भूमि पर किये गये कब्जे को छोड़कर, उक्त भूमि का कब्जा वादी को सिपुर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 एक वादी के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये तथा प्रतिवादी संख्या 01 एक ने वादी को धमकी दी कि वादी की मर्जी आये जो कर लेना प्रतिवादी संख्या 01 एक उक्त आराजीयात से कब्जा नही छोडेगे तथा वादी प्रतिवादी संख्या 01 एक काकुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस कारण से वादी को यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। वादी के पक्ष मे एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक के विरूद्ध इस आशय की कब्जेयावी की डिकी सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 01 एक द्वारा सरहद ग्राम बराटिया पटवार हल्का स्वरूपगंज भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खैराबाद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) में आराजी नम्बर 236/160 रकबा 0.5058 हैक्टयर की उत्तरी मेड पर 0.0500 हैक्टयर भूमि पर किये गये कब्जे को हटाकर पुनः वादी को सिपुर्द कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। यह है कि यादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध बिनाय वाद दिनांक माह अप्रेल 2024 दो हजार चौबीस को कब्जा कर लेने व दिनांक 15 पन्द्रह मई 2024 दो हजार चौबीस एवं दिनांक 10 दस दिसम्बर 2024 दो हजार चौबीस को कब्जा छोडने से इंकार कर देने से उत्पन्न होकर निरन्तर रूप से जारी है। वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक के विरूद्ध इस आशय की कब्जेयाबी की डिकी सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 01 एक द्वारा सरहद ग्राम बराटिया पटवार हल्का स्वरूपगंज भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खैराबाद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 236/160 रकबा 0.5058 हैक्टयर की उत्तरी मेड पर 0.0500 हैक्टयर भूमि पर किये गये कब्जे को हटाकर पुनः वादी को सिपुर्द कराया जाने की कब्जेयाबी डिक्री वादी के पक्ष ने एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक के विरूद्ध सादिर फरमायी जावे।

वादी वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। तलबी करने पर ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी संख्या 01 फौत हो गया है जिसकी पालना में वादी वकील द्वारा दिनांक 18.02.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत किया तथा संशोधित अनवान प्रस्तुत किया। पत्रावली में संशोधित अनवान की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या

01, 1/1 ,1/2, 1/3 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण संख्या 01, 1/1 ,1/2, 1/3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण ने अपनी एकतरफा साक्ष्य में स्वयं वादीगण संख्या 01– मुकेश पुत्र श्री भीमा नरायक नि0 बराठिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0) के शपथपत्र प्रस्तुत किये और दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी संवत 2075–2078 की प्रति, पत्थरगढ़ी प्रकरण सं. 85/2023 पारित आदेश दिनांकित 06–07–2023 की पालना में रेवेन्यू इन्स्पेक्टर व पटवारी हल्का ने दिनांक 04–04–2024 को वादग्रस्त आराजियात के मौके पर जाकर पर्चा मौका बनाये जिनकी प्रमाणित प्रतियां साक्ष्य में प्रस्तुत की गयी।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस के दौरान बताया की वादी उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा कर लिया गया है। इस कारण उक्त भूमि का कब्जा वादी को दिलाये जावे। मैने वकील वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की विवादित भूमि वादी के खाते चली आ रही है। उक्त भूमि के वादी खातेदार काश्तकार है। जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबन्दी नकल सम्वत् 2075–2078 से होती है। वादी के खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर कब्जा कर लिया है। जिसकी ताईद प्रस्तुत पत्थरगढी मौका पर्चा से होती है। जिससे न्यायालय वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

–:: आदेश ::–

अतः वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 01, 1/1 ,1/2, 1/3 ने वादीगण की ग्राम बराटिया पटवार हल्का स्वरूपगंज भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खैराबाद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 236/160 रकबा 0.5058 है0 पर प्रतिवादी संख्या 01, 1/1 ,1/2, 1/3 का 0.0500 है0 भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है उससे उसे बेदखल किया जाकर इस भूमि का कब्जा पुनः वादीगण को दिलाया जाने बाबत् बेदखली आराजियात की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाती है ।

तहसीलदार हमीरगढ डिक्री अनुसार वादीगण को उक्त भूमि का कब्जा प्रतिवादी सं. 01, 1/1 ,1/2, 1/3 से दिलाया जाना सुनिश्चित करे। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे । निर्णय अनुसार डिक्री मुर्तिब की जावे । निर्णय दिनांक 12.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(झंवर लाल, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा (राज.)